


03-09-25

पत्रावली पेश हुई। वकील अधपक्ष की बहस पर  
मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर  
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के  
कारण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय  
दृष्टक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली  
बाद तर्तीक तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर छुले न्यायालय में  
दुनाया गया।

  
(सुनीलकुमार-जौहान)  
R.A.S.